भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3797
दिनांक 16.07.2019/25 आषाढ़, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

प्राथमिकी दर्ज नहीं किया जाना

†3797. डॉ॰ सुजय विखे पाटीलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में महिलाएं और कमजोर वर्गों के लोग पुलिस के व्यवहार के कारण प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं कराते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक ऐसे कदम उठाए जाने की संभावना है; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। तथापि, सरकार, विशेषकर महिलाओं और कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों के मामले में, अपराधों की सूचना देने और उनकी जांच को अत्यधिक महत्व देती है। महिलाओं और पिछड़े वर्गों सहित शिकायतकर्ताओं द्वारा एफआईआर दर्ज कराने के कार्य को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. महिलाओं के बलात्कार और उन पर यौन हमले के मामले में पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य बनाने के लिए दंड विधि में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया है।

ii. दंड विधि में वर्ष 2018 में पुनः संशोधन किया गया था, जिसमें महिलाओं के बलात्कार के मामले में पुलिस द्वारा जांच को दो माह के भीतर पूरा किए जाने का प्रावधान है।

iii. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि अनु. जाति/अनु. जनजाति के प्रति अपराध से संबंधित शिकायत के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए प्राथमिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी।

iv. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एफआईआर के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में परामर्शी-पत्र जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संबंधित पुलिस स्टेशन के कार्यक्षेत्र से बाहर किए गए अपराध के संबंध में कोई कॉल/शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस उन मामलों के संबंध में एफआईआर दर्ज करती है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'जीरो एफआईआर' दर्ज करने के संबंध में पुलिस को अनुदेश देने का परामर्श दिया गया है। गृह मंत्रालय ने परामर्शी-पत्र जारी किया है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को महिलाओं पर यौन हमले के मामलों में अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने के बारे में स्मरण कराया गया है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसी जांच को 2 महीने में पूरा करने का अनुरोध भी किया गया है।

v. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के संशोधित प्रावधानों का अनुपालन करने के संबंध में दिनांक 26.09.2018 को एक परामर्शी-पत्र जारी किया है।

vi. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एकीकृत मदद और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टाप सेंटर की योजना और हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घंटे आपातकालीन और गैर-आपातकालीन कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन के वैश्वीकरण की योजना शुरू की है। उपर्युक्त के अलावा, गृह मंत्रालय के सहयोग से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस स्वयंसेवकों को शामिल करने की परिकल्पना की है, जो पुलिस और समाज के बीच संपर्क के रूप में कार्य करेंगी और संकट में फंसी महिलाओं की सहायता करेंगी।

vii. इसके अतिरिक्त, भारत सरकार कार्यशालाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन आदि के माध्यम से महिलाओं और उनके अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनों के बारे में जागरूकता सृजन कार्यक्रम और प्रचार अभियान आयोजित करती है।

*****